IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, May 2023
Impact Factor: 7.301

मौलिक अधिकारों का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय : केस स्टडी

डॉ गौरव त्रिपाठी

असि० प्रो०, राजनीति विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी (उत्तर प्रदेश)

tripathydrgaurav.gdc@gmail.com

सारांश

मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिये गये हैं। संविधान निर्माताओं को यह डर था कि राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है । सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए उचित रिट जारी करती है। जब जब नागरिक अधिकारो को राज्य के कानूनो ने न्यून करने का प्रयास किया तब तब नागरिको ने सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त किया। चंपकम दर्राईराजन वाद का ही परिणाम था कि भारतीय संविधान मे प्रथम संशोधन करना पडा। केशवानंद भारती वाद आज तक का सबसे बडी पीठ द्वारा निर्णीत वाद है जिसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायालय ने प्रतिपादित किया। पी यु सी एल वाद मे न्यायालय ने नागरिकों के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी प्रदान करते हुए टेलीफोन टेपिंग पर नियम जारी किये। मेनका गांधी वाद, इंद्रा साहनी वाद, एम नागराज वाद, अरूणा शानवाग वाद आदि के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय मे विधि के शासन की अवधारणा को मजबूत किया तथा भारतीय लोकतंत्र व शासन व्यवस्था को मर्यादित व उत्तरदायी बनाया।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 1, May 2023
Impact Factor: 7.301